सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री शारदा सिंह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0) छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 02/2016 दिनांक 28.01.2016

श्री जितेन्द्र कुमार सिंह
c/o श्री मेवालाल देवदास
वार्ड कमांक–03 अयोध्या नगर,
महासमुन्द, छत्तीसगढ
पिन नबंर– 493445 — अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री एस. आर. बांधेय
जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0,डंगनिया–रायपुर — प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 23.02.2016 को पारित)

अपीलार्थी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह की ओर से प्रकरण पर अपील जनसूचना अधिकारी, छ.रा.वि.हो. कं.मर्या.,रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत दिनांक 27.01.2016 को प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 02/2016 दिनांक 28.01.2016 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) अपीलार्थी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह का पक्ष कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उनके द्वारा पूर्व आवेदन दिनांक 09.12.2015 के माध्यम से 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी, जो निम्नलिखित है–

(1) छ.रा.वि.कम्पनीज में प्रशिक्षण अवधि में कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु स्थापित नियमों की सत्यापित दस्तावेज।

(2) छ. रा. वि. कम्पनीज में प्रशिक्षु अवधि में कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही हेतु स्थापित नियमों की सत्यापित दस्तावेज।

(3) वर्ष 2007 से अब तक विद्युत कम्पनीज में प्रशिक्षु अवधि में निलंबित कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री के नाम एवं पदस्थापना की जानकारी।

(4) छ. रा. वि. कम्पनीज प्रशिक्षु अवधि में निलंबित कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री को निलंबित करने वाले अधिकारी के नाम एवं पद की जानकारी।

(5) विद्युत कम्पनीज, में प्रशिक्षु अवधि में निलंबित कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री, को नियमित आदेश अग्रेषित एंव नियमित करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही बाबत स्थापित नियमों की सत्यापित दस्तावेज।

अतः जनसूचना अधिकारी के द्वारा बिन्दु कमांक 01 से 05 तक में चाही गई जानकारी के संदर्भ में अवगत कराया गया है कि **वांछित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नही है, अतः दिया जाना संभव नही है,** जिससे अपीलार्थी संतुष्ठ नही है।

(3) उपरोक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए, सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ/06--07/दिनांक 03.02.2016 के द्वारा जनसूचना अधिकारी को **दिनांक 23.02.2016** को सांय 5:00 बजे व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्रमांक जी–9 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा दी गई पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया था। उक्त श्रवण तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो छ. रा. वि. हो. कं. मर्या, रायपुर उपस्थित एवं अपीलार्थी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह अनुपस्थित रहे।

(4) निर्धारित श्रवण तिथि 23.02.2016 को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, छ0 रा0 वि0 हो0 कं0 मर्या0 रायपुर के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि ''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह द्वारा छ. रा. वि. कम्पनीज में प्रशिक्षण अवधि में कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु नियम/निलम्बन कार्यवाही हेतु स्थापित नियम/निलंबित कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री के नाम एवं पदस्थापना की जानकारी/कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री को निलंबित करने वाले अधिकारी के नाम एवं पद की जानकारी/निलंबित कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री, को नियमित आदेश अग्रेषित एंव नियमित करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही बाबत् स्थापित नियमों की सत्यापित दस्तावेज की प्रति चाही गई है।

लेख है कि आवेदक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह द्वारा वांछित उक्त बिन्दुओं की जानकारी जो होल्डिंग कंपनी के अतिरिक्त अन्य विद्युत कंपनियों यथा उत्पादन/पारेषण/वितरण कंपनी के (मानव संसाधन) कार्यालयों से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) की उपधारा (3) के प्रावधानों/नियमों के अधीन संबंधित कार्यालयों को प्रकरण इस कार्यालय के सूचनाधीन सीधे आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराये जाने बाबत निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र क्रमांक 3989 दिनांक 15.12.2015 के द्वारा अंतरित किया गया था, जिसकी सूचना आवेदक को भी दी गई थी। चूंकि वांछित जानकारी होल्डिंग कंपनी से भी संबंधित होने के कारण प्रकरण प्रबंधक (मा.सं.) आठ, छ. रा. वि. हो. कं. मर्या. रायपुर को पत्र क्रमांक 4017 दिनांक 16.12.2015 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा कार्यालयीन यू. ओ. नोट क्रमांक 32 दिनांक 05.01.2016 के माध्यम से अवगत कराया गया कि ''आवेदक द्वारा वांछित बिन्दु कमांक–(1) से (5) तक में चाही गयी जानकारी इस प्रभाग में उपलब्ध नही है, अतः दिया जाना संभव नही है। जिसे आवेदक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 70 दिनांक 06.01.2016 के द्वारा अवगत कराया गया।

(5) निर्धारित प्रथम अपील सुनवाई तिथि 23.02.2016 को अपीलार्थी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह अनुपस्थित, एवं प्रतिअपीलार्थी श्री एस. आर. बांधेय, जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो तथा श्री पंकज सिंह परमार सहायक प्रबंधक (मा0सं0) उपस्थित हुए। चूंकि अपीलार्थी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह अपील सुनवाई में अनुपस्थित रहे। अतः अपील प्रकरण पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।

उपरोक्त प्रथम अपील प्रकरण के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक विशिष्ट अधिनियम है, और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट वह कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो।

निर्धारित तिथि को प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। जिससे यह ज्ञात होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा वांछित बिन्दुओं की जानकारी जो सभी विद्युत कंपनीज यथा उत्पादन/पारेषण/वितरण के (मानव संसाधन) कार्यालयों से संबंधित है। अतएव अधिनियम में निहित तथ्यों के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रकरण संबंधित कार्यालयों को अग्रिम कार्यवाही हेतु अंतरित किया गया है। एंव अपीलार्थी को होल्डिंग कंपनी की जानकारी की वस्तुस्थिति से अवगत निर्धारित समयावधि के भीतर करायी गई है, जो सही व उचित प्रतीत होता है। अतः जनसूचना अधिकारी के द्वारा पैरा कमांक 04 में की गई कार्यवाही नियम के अनुरूप सही परिलक्षित होता है, जो स्वीकार है। अपीलार्थी का यह कथन कि उन्हें वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा पूर्णतः उपलब्ध नही करायी गई है, निराधार एवं तथ्यहीन है।

प्रकरण की पुनश्च समीक्षा करने पर यह ज्ञात होता है कि आवेदन अंतरण तद्पश्चात जनसूचना अधिकारी कार्या0–कार्यपालक निदेशक (मा.स.) छ.रा.वि.वि.कं.मर्या. रायपुर के द्वारा प्रकरण जनसूचना अधिकारी कार्या0–कार्यपालक निदेशक (संचा./संधा.) छ.रा.वि.वि.कं.मर्या. रायपुर को अग्रिम कार्यवाही बाबत् प्रकरण पुनः अंतरित किया गया है। उपरोक्त के वशीभुत जनसूचना अधिकारी कार्या0–कार्यपालक निदेशक (संचा./संधा.) छ.रा.वि.वि.कं.मर्या. रायपुर के द्वारा प्रकरण कार्यालयीन पत्र कमांक 5047 दिनांक 26.12.2015 के माध्यम से अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। जिस पर तदनुरूप आवश्यक कार्यवाही करते हुए जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालक निदेशक (रा.क्षे.) छ.रा.वि.वि.कं.मर्या. रायपुर के द्वारा कार्यालयीन पत्र कमांक 5854 दिनांक 07.01.2016 के माध्यम से अपीलार्थी को सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित करते हुए अवगत कराया गया है कि सूचना के अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत अनुरोध लिखित में एक विषय–वस्तु से संबधित रहेगा, एवं सामान्यतः 150 शब्दों से अधिक नही होगा, यदि कोई आवेदक अधिक विषय वस्तु की सूचना चाहता है तो वह इसके लिए अलग–अलग आवेदन करेगा। अतएव वांछित उक्त प्रथम बिन्दु की जानकारी जो कुल 04 पेजों में उपलब्ध है। कृपया किसी भी कार्यालयीन दिवस में परिव्यय शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर लेवे। पुनश्च जनसूचना अधिकारी कार्या0–कार्यपालक निदेशक (रा.क्षे.) छ.रा.वि.वि.कं.मर्या. रायपुर का कार्यालयीन पत्र कमांक 6720 दिनांक 10.02.2016 जो अपीलार्थी को सम्बोधित है, इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसके अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा 04 पेजों की जानकारी हेतु परिव्यय शुल्क का भुगतान भारतीय पोस्टल आर्डर के द्वारा किया गया है, जो पोस्टल आर्डर कालबाधित हो गया है। अतएव उपरोक्त पोस्टल आर्डर मूल रूप में अपीलार्थी को वापस किया गया है। अतः अपीलार्थी श्री सिंह वांछित शुल्क संबंधित कार्यालय में भुगतान कर जानकारी प्राप्त करें।

जहॉ तक अपीलार्थी की अपील का प्रश्न है पूर्वगामी विवेचन के प्रकाश में अपीलार्थी को विद्युत होल्डिंग कंपनी की जानकारी से अवगत निर्धारित समयावधि के भीतर करायी जा चुकी है। अतएव अपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा उक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही पूर्णतः विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। जिसमें किसी भी प्रकार की कार्यवाही किया जाना शेष नही है। उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत अपीलार्थी का प्रथम अपील आवेदन अस्वीकार किया जाता है। अतः अपील प्रकरण क्रमांक 02/2016 दिनांक 28.01.2016 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

ामांक 01–02 / अपील प्रकरण –02 / 2016 / 14 रायपुर, दिनांक 23/02/2016

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो ,छ. रा. वि. हो. कं. मर्या.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, छ. रा. वि. हो. कं. मर्या. रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह c/o श्री मेवालाल देवदास वार्ड कमांक–03 अयोध्या नगर, महासमुन्द, छत्तीसगढ पिन नबंर– 493445 को सूचनार्थ प्रेषित।

इस आदेश के विरूद्ध यदि आप चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य,
सूचना आयोग,
पुराना मंत्रालय (डी.के.एस.भवन)
परिसर स्थित इन्द्रावती खण्ड,
प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर
492001, (छ0ग0)
दूरभाष–0771–4024235, 2444151

अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700